4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०–2/एल०–36/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक–

डा० श्वेता कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगडिया के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनाक–04 06.2025 से 01.12.2025 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनाक–01.12.2015 के आलोक मे निम्नवत स्वीकृत किया जाता है :–

(i) दिनांक–04 06.2025 से 30.11.2025 तक – कुल–180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।

(ii) दिनांक–01.12.2025 को – देय अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एल०–36/2026– 854(2) पटना, दिनांक–23/4/26

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, खगडिया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगडिया/डा० श्वेता कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Des 2>Gau> adesh24>Vikas 26